न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

पीठासीन अधिकारी– मुरलीधर प्रतिहार (आर.ए.एस.)

अपील संख्या : 2024/337

1. गजेन्द्र
2. प्रवीण
   पिसरान स्व. मांगीलाल जाति धाकड़ निवासी ग्राम बाछीहेड़ा, तहसील कनवास जिला कोटा राज0

——अपीलांटगण

बनाम

1. सुलोचना बाई उर्फ सुलोचना पुत्री कन्हैयालाल पत्नी अमरलाल जाति धाकड़ निवासी ग्राम बाछीहेड़ा, तहसील कनवास जिला कोटा राज0
2. कमलेश बाई पत्नी स्व0 मांगीलाल जाति धाकड़ निवासी ग्राम बाछीहेड़ा, तहसील कनवास जिला कोटा राज0
3. कौशल्या बाई पुत्री स्व0 कन्हैयालाल पत्नी बनवारी लाल नागर जाति धाकड़ निवासी ग्राम बाछीहेड़ा तहसील कनवास जिला कोटा राज0
4. बद्री बाई पुत्री कन्हैयालाल पत्नी धर्मराज नागर जाति धाकड़ निवासी ग्राम बाछीहेड़ा तहसील कनवास जिला कोटा हाल निवासी ग्राम चनावता तहसील सांगोद जिला कोटा राज0
5. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार कनवास जिला कोटा

–रेस्पोडेन्टगण

उपस्थित वक्त बहस :– 1. श्री नरेन्द्र गुप्ता, विशाल, अभिभाषक, अपीलांट की ओर से।
2. श्री यशवन्त सिंह हाडा, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की आरे से।

निर्णय दिनांकः 20.06.2025

1. अपीलांट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कनवास जिला कोटा के प्रकरण संख्या 27/2020(2020/00043) में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 14.08.2024 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय में एक वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 प्रस्तुत कर कथन किया कि वादीनी एवं प्रतिवादीगण नं. 1 लगायत 5 के शामलाती खाते एवं कब्जे काश्त की पैतृक आराजी माल ग्राम बाछीहेडा, पटवार हल्का हिगोनियां, तहसील कनवास, जिला कोटा (राज.) में खाता संख्या नई 31 के

खसरा नं. 1639 की 0.32 है०, खसरा नं. 1641 की रकबा 0.65 है०, खसरा नं. 1682 की रकबा 0.04 है० किस्म गै.मु. चाह, खसरा नं. 1759 की रकबा 0.70 है०, खसरा नं. 1760 की रकबा 0.15, खसरा नं. 604/1818 पश्चिमी तरफ की रकबा 0.24 है०, खसरा नं. 605 की रकबा 0.04 है० कुल किता 7 की कुल रकबा 2.14 हैक्टेयर एवं माल ग्राम सामरिया, पटवार हल्का सीमलिया, तहसील कनवास, जिला कोटा में खाता संख्या नई 31 के खसरा नं. 24 की रकबा 0.68 है०, खसरा नं. 43 की रकबा 1.30 है०. कुल किता 2 की कुल रकबा 1.98 है0 स्थत है। उक्त आराजियात में वादनी का 1/4 हिस्सा व प्रतिवादी क्रम 1, 2, 3 का प्रत्येक का 1/12, 1/12 हिस्सा निहित है व प्रतिवादी नं. 4, 5 का प्रत्येक का 1/4, 1/4 हिस्सा निहित है तथा वादीनी व प्रतिवादी नं. 1 लगायत 5 अपनी अपनी हिस्सा आराजी को काबिज होकर काश्त करते है। वाद पत्र के पैरा नं. 1 में वर्णित आराजी का खाता विभाजन (जोत का विभाजन) नहीं होने से वादनी को लगान राज जमा करवाने, आराजी का विकास कार्य करवाने आदि में गम्भीर समस्या आ रही है तथा हर वर्ष प्रतिवादीगण 1 लगायत 5 वादी की हिस्सा आराजी को काश्त करने में बाधा उत्पन्न करते है। वादी ने प्रतिवादीगण 1 लगायत 5 से तहसील में चलकर जोत का विभाजन करने के लिए कहा तो उन्होंनें जोत का विभाजन (बटवारा) करवाने से साफ मना कर दिया तथा धमकी दी कि इस वर्ष हम तेरी हिस्सा आराजी को बुवे नहीं हांकने देगें इसलिए वादी के लिए यह आवश्यक हो गया है कि वह माननीय न्यायालय से जर्ये विभाजन की डिक्री वाद पत्र के पेरा नं. 1 में वर्णित आराजियात में अच्छी में से अच्छी व बुरी में से बुरीका विभाजन करवाकर अपनी 1/4 हिस्सा आराजी का पृथक से खाता व पृथक से लगान निर्धारित करवा लेवें तथा साथ ही जर्ये स्थायी निषेधाज्ञा प्रतिवादीगण 1 लगायत 5 को पाबंद करवा लेवें कि वह वाद पत्र के पेरा नं. 1 में वर्णित आराजियात में निहित वादी की 1/4 हिस्सा आराजी में किसी प्रकार की मदाखलत व मजाहमत न करें ना ही वादी के शांतिपूर्ण कब्जा काश्त में बाधा उत्पन्न करें जिसका वादनी को कानून विधिक अधिकार हासिल है। वादनी परित्यकता महिला है जिसे वादनी के पति ने करीब 22 वर्ष पूर्व से छोड़ रखा है तब से वादनी बाछीहेडा में ही अपनी पुत्री दीपा के साथ स्वयं के पिता के पैतृक मकान में रहती है तथा पुत्री दीपा का विवाह इसी वर्ष किया है। वादनी के भतीजे व भाभी (प्रतिवादी नं. 1 लगायत 5) ने 8 माह पूर्व लड़ाई झगडा कर वादनी को घर से निकाल दिया और वादनी की हिस्सा आराजी पर भी जबरन कब्जा करने की धमकियां दे रहे है। जबकि वादनी के वाद पत्र के पैरा नं. 1 में वर्णित हिस्सा आराजी के अलावा आय का अन्य कोई स्त्रोत नहीं है। यदि प्रतिवादी नं. 1 लगायत 5 ने खाता विभाजन नहीं किया और जबरन वादनी की हिस्सा आराजी पर नाजायज कब्जा कर लिया तो वादनी के भूखो मरने की नौबत आ जावेगी। वादनी को यह विधिक अधिकार हासिल है कि वह वाद पत्र के पैरा नं. 1 में वर्णित आराजियात में निहित अपनी 1/4 हिस्सा आराजी का खाता विभाजन करवाकर पृथक से खाता व पृथक से लगान निर्धारित करवा लेवें तथा राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद करवा लेवें एवं प्रतिवादीगण 1 लगायत 5 को जर्ये स्थायी निषेधाज्ञा पाबंद करवा लेवें कि वह वादनी को विभाजन में प्राप्त 1/4 हिस्सा आराजी में किसी प्रकार से मदाखलत व मजाहमत न करें और वादनी को शांति पूर्वक उसकी हिस्सा आराजी पर काबिज होकर काश्त करने देवें। वाद कारण दिनांक 15.06.2020 को अंतिम मर्तबा वादी द्वारा प्रतिवादीगण क्रम 1 लगायत 5 से विवादित आराजी के जोत का विभाजन करवाने की कहने व उनके द्वारा विभाजन करवाने से साफ इन्कार करने व वादी की जमीन पर जबरन कब्जा करने की धमकी देने पर उत्पन्न हुआ। अतः वाद पत्र

पेश कर निवेदन है कि वादीनी के पक्ष में विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की विभाजन एवं स्थायी निषेधाज्ञा की डिक्री सादिर पारित फरमाई जावे कि –(अ) कि माल ग्राम माल ग्राम बाछीहेडा, पटवार हल्का हिगोनियां, तहसील कनवास, जिला कोटा (राज.) में खाता संख्या नई 31 के खसरा नं. 1639 की 0.32 है०, खसरा नं. 1641 की रकबा 0.65, खसरा नं. 1642 की रकबा 0.04 है० किस्म गै.मु. चाह, खसरा नं. 1759 की रकबा 0.70 है०, खसरा नं. 1760 की रकबा 0.15 है०, खसरा नं. 604/1818 पश्चिमी तरफ की रकबा 0.24 है०, खसरा नं. 605 की रकबा 0.04 है० कुल किता 7 की कुल रकबा 2.14 है० आराजी एवं माल ग्राम सामरिया, पटवार हल्का सीमलिया, तहसील कनवास, जिला कोटा में खाता संख्या नई 31 के खसरा नं. 24 की रकबा 0.68 है०, खसरा नं. 43 की रकबा 1.30 है०, कुल किता 2 की कुल रकबा 1.98 है० आराजियात का अच्छी में से अच्छी व बुरी में से बुरी का वादीनी के 1/4 हिस्से का विभाजन (बटवारा) कर पृथक से खाता व पृथक से लगान निर्धारित किया जावे तथा नाप कर कब्जा भी वादीनी मौके पर दिलवाया जावे तथा राजस्व रेकार्ड व नक्शा ट्रेस में भी अंकन किया जावे। (ब) कि प्रतिवादीगण नं. 1 लगायत 5 को जर्ये स्थायी निषेधाज्ञा पाबंद फरमाया जावे कि वह वादीनी को बटवारा में प्राप्त अपनी 1/4 हिस्सा आराजी में प्रतिवादीगण नं. 1 लगायत 5 किसी प्रकार से मदाखत व मजामहत न करें तथा वादीनी को अपनी हिस्सा आराजी को शांतिपूर्वक काबिज होकर काश्त करने देवें। (स) अन्य न्यायोचित सहायता एवं वाद व्यय जो वादी प्राप्त करने का अधिकारी हो वह भी प्रतिवादीगण से वादी को दिलवाया जावे।

3. उक्त आशय का प्रार्थना–पत्र अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दर्ज रजिस्टर किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 14.08.2024 को वादी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से प्रस्तुत वाद स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त आराजी के विभाजन की प्राथमिक निर्णय व डिक्री पारित की।

4. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 14.08.2024 से व्यथित होकर अपीलांट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 14.08.2024 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 14.08.2024 को निरस्त फरमाया जावे ।

5. अपीलांट की ओर से प्रस्तुत अपील दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्टगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। सम्मन नोटिस की पालना मे रेस्पोडेन्ट संख्या 1 जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुआ। शेष रेस्पोडेन्ट बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया व पत्रावली वास्ते बहस अंतिम नियत की गई। उभयपक्षकारान के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।

6. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस में अपील मेमो में अंकित कथनों को दोहराते हुए निवेदन किया कि योग्य अधीनस्थ न्यायालय का आदेश विधि न्याय एवं संचिका मे सिद्धी प्राप्त तथ्यो के सर्वथा विपरीत है। अधीनस्थ न्यायालय ने प्राथमिक निर्णय व डिक्री जैर अपील पारित करने मे तथा वादी/रेस्पोडेन्ट कम 1

द्वारा प्रस्तुत दावा प्राथमिक रूप से डिक्री करने मे घोर त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायलय में वादीनी/रेस्पोडेन्ट कम 1 ने बंटवारा आराजीयात एवं स्थायी निषेधाज्ञा का वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 आरटीएक्ट इन तथ्यो के साथ प्रस्तुत किया कि वादीनी/रेस्पोडेन्ट कम 1 व प्रतिवादी कम 1 लगायत 5 के शामलाती खाते एवं कब्जे काश्त की पैतृक आराजी माल ग्राम बाछीडेडा तहसील कनवास जिला कोटा राजस्थान मे खाता संख्या नई 31 के खसरा नं० 1639 की 0.32 हेक्टर, खसरा नं0 1641 की 0.65 हेक्टर, खसरा नं0 1682 की 0.04 हेक्टर, खसरा नं0 1759 की 0.70 हेक्टर, खसरां नं0 1760 की 0.15 हेक्टर, खसरा नं0 604/1818 पश्चिमी तरफ की 0.24 हेक्टर, खसरा नं० 605 की 0.04 हेक्टर कुल 7 किता की 2.14 हेक्टर एवं माल ग्राम सामरिया तहसील कनवास जिला कोटा मे खाता संख्या नई 31 के खसरा नं0 24 की .68 हेक्टर, खसरा नं0 43 की 1.30 हेक्टर कुल 2 किता की 1.98 हेक्टर भूमि स्थित है। उपरोक्त आराजीयात में वादीनी/रेस्पोडेन्ट कम 1 का 1/4 हिस्सा निहित है। प्रतिवादी कम 1, 2/अपीलान्टगण का 1/12, 1/12 हिस्सा व प्रतिवादी कम 3 का 1/12 हिस्सा निहित है व प्रतिवादी/रेस्पोडेन्ट कम 3 व 4 प्रत्येक का 1/4, 1/4 हिस्सा निहित है। वादीनी/रेस्पोडेन्ट कम 1 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय ने वाद पत्र प्रस्तुत कर यह अनुतोष चाहा गया कि उपरोक्त वर्णित कृषि आराजीयात का अच्छी में से अच्छी व बुरी में से बुरी का विभाजन कर पृथक से खाता व पृथक से लगान निर्धारित किया जावे तथा नापकर कब्जा भी वादीनी को मौके पर दिलवाया जावे तथा राजस्व रिकार्ड व नक्शा ट्रेस में भी अंकन किया जावे। वादीनी/रेस्पोडेन्ट कम 1 द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त वाद पत्र का प्रतिवादी/अपीलांटगण की ओर से जवाब दावा मय काउन्टर क्लेम प्रस्तुत किया गया था। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादीनी/रेस्पोडेन्ट कम 1 की ओर से प्रस्तुत उपरोक्त वाद पत्र को स्वीकार कर प्राथमिक निर्णय व डिकी पारित करने में तथा प्रतिवादी/अपीलान्टगण की ओर से प्रस्तुत काउन्टर क्लेम को निर्णित नहीं करने में भारी त्रुटि की गई है। अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिवादी/अपीलांटगण द्वारा प्रस्तुत काउन्टर क्लेम का निर्णय वाद के निर्णय के साथ ही करना चाहिये था परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा काउन्टर क्लेम का निर्णय नहीं कर निर्णय व डिकी जैर अपील प्रदान करने में गंभीर त्रुटि की गई है। इस आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिकी जैर अपील सर्वथा गलत, त्रुटिपूर्ण एवं गैर कानूनी होने से निरस्त किये जाने योग्य है। प्राथमिक निर्णय व डिकी के माध्यम से समस्त सहखातेदारान का हिस्सा तय किया जाता है परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा समस्त सहखातेदारान के हिस्से तय नहीं कर तथा प्राथमिक डिकी के स्कॉप से परे जाकर निर्णय व डिकी जैर अपील प्रदान करने में त्रुटि की है। यहा यह उल्लेखनीय है कि समस्त सहखातेदारान के हिस्से तय किये बिना कानूनन प्रस्तावित विभाजन की रिपोर्ट तलब नहीं की जा सकती है इस तथ्य पर भी गौर किये बिना ही अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय व डिक्री जैर अपील प्रदान करने में त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय ने वादीनी/रेस्पोडेन्ट कम 1 द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र तथा प्रतिवादी/अपीलांटगण एवं रेस्पोडेन्ट कम 2 लगायत 4 की ओर से प्रस्तुत जवाब दावा मय काउन्टर क्लेम के आधार पर तनकीयात कायम की गई थी। अधीनस्थ न्यायालय को तनकीवार निर्णय व डिकी पारित करना चाहिये था परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश 20 नियम 5 सीपीसी के प्रावधानो विपरीत तनकीवार निर्णय व डिकी पारित नही करने में घोर त्रुटि की है। इस आधार पर निर्णय व डिकी जैर अपील निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित प्राथमिक निर्णय व डिकी प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तो के विपरीत होने से

तथा स्पीकिंग आदेश की तारीफ मे नही आने से निरस्त किये जाने योग्य है। अपनी बहस के समर्थन में विद्वान अधिवक्ता अपीलांट की ओर से न्यायिक दृष्टांत आर.आर.डी. 14.10.2008 पेज 696, आर.आर.डी. 1984 पेज 51, ए.आई.आर. 960 मद्रास पेज 392, 2024(2) आर.आर.टी. पेज 1154 प्रस्तुत किए। अन्त में अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर निर्णय एवं डिक्री निरस्त किए जाने तथा वादीनी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से प्रस्तुत वाद खारिज किए जाने का निवेदन किया। विलल्प में प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस दिशा निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किए जाने का निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय तनकीवार निर्णय पारित कर उभय पक्षकारान/समस्त सह खातेदारान के हिस्से निर्धारित करे तथा प्रतिवादी/अपीलांगण की ओर से प्रस्तुत काउन्टर क्लेम का निर्णय कर गुणावगुण पर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करे। अन्य न्यायोचित सहायता हो जो अपीलान्ट्स को प्रदान फरमाई जावे।

7. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अपनी बहस में निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी प्रतिवादीगण अपीलांटगण एवं वादीया रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की सहखातेदारी की भूमि है। वादग्रस्त आराजी में वादीया रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का 1/4 हक हिस्सा निहित है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 अपने निहित हिस्से पर काबिज होकर काश्त करती चली आ रही है। वादग्रस्त आराजी सहखातेदारी की भूमि होने के कारण प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 5 अपीलांटगण वादग्रस्त भूमि में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को काश्त करने में बाधा उत्पन्न करते रहते है। साथ ही लगान जमा करने में भी समस्या पैदा करते है। इस कारण अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने वादग्रस्त भूमि के बंटवारे का वाद प्रस्तुत किया है। अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत वाद मे वादग्रस्त आराजी का बाई मिटस एण्ड बाउण्डस विभाजन करने का अनुतोष रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा चाहा गया है। अधीनस्थ न्यायालय ने जो प्राथमिक निर्णय व डिक्री पारित की है, उक्त प्राथमिक डिक्री में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के निहित हिस्से अनुसार ही विभाजन करने का आदेश पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 14.08.2024 में किसी भी पक्षकार का हिस्स कम अथवा अधिक दर्ज किए जाने का आदेश अंकित नहीं किया गया है। राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज पक्षकारान के हिस्से अनुसार ही प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 14.08.2024 पारित की गई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 14.08.2024 से अपीलांटगण के किसी प्रकार के हित प्रभावित नहीं होते है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 14.08.2024 विधि सम्मत है तथा इसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है। अपीलांट की ओर से प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज किए जाने योग्य है। अन्त में अपील अपीलांट खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 14.08.2024 यथावत रखे जाने का निवेदन किया।

8. हमने उभयपक्षकारान के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। न्यायालय हाजा व अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली मे संलग्न दस्तावेजों का गहनता से अवलोकन किया। प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतो का सम्मानपूर्वक अवलोकन किया।

अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत प्रश्नगत वाद में वादीनी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा वादग्रस्त आराजी के सम्बंध में बंटवारे एवं स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा गया है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में

संलग्न जमाबंदी सम्वत् 2075 से 2078 के अनुसार ग्राम बाछीहेड़ा तहसील कनवास की खाता संख्या 31 की कुल किता 7 कुल रकबा 2.14 हैक्टेयर भूमि वादीनी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 एवं प्रतिवादीगण अपीलांटगण की संयुक्त खातेदारी में दर्ज है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न जमाबंदी सम्वत् 2073 से 2076 के अनुसार ग्राम बाछीहेड़ा तहसील कनवास की खाता संख्या 31 की कुल किता 2 कुल रकबा 1.98 हैक्टेयर भूमि वादीनी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 एवं प्रतिवादीगण अपीलांटगण की संयुक्त खातेदारी में दर्ज है। अतः यह तथ्य दस्तावेजी साक्ष्यों से प्रमाणित है कि वादग्रस्त आराजी प्रतिवादीगण अपीलांटगण एवं वादीनी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की संयुक्त खातेदारी की भूमि है। वादग्रस्त आराजी में अपीलांट संख्या 1 व 2 तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 2 प्रत्येक का 1/12 हिस्सा तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 3 व 4 प्रत्येक का 1/4 हिस्सा निहित है। अधीनस्थ न्यायालय में प्रतिवादी सख्या 1 लगायत 5 की ओर से काउंटर क्लेम प्रस्तुत किया गया है जिसमें प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 ने प्रतिवादी संख्या 4 व 5 द्वारा वादग्रस्त आराजी में निहित स्वयं के हिस्से को प्रतिवादी संख्या 1 व 2 अपीलांटगण के पक्ष में पंजीकृत रिलीज डीड दिनांक 20.07.2020 के द्वारा हस्तांतरित किए जाने का कथन किया है। साथ ही प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 5 ने अपने वादपत्र में वादीनी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा वादग्रस्त आराजी में निहित अपने हिस्से को छोड़े जाने तथा वादग्रस्त आराजी में किसी प्रकार के हक अधिकार शेष नहीं होने का कथन किया है। वादीनी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 5 के काउंटर क्लेम का जवाब भी प्रस्तुत किया गया है। उभयपक्षकारान के अभिवचनों के अनुसार प्रकरण में तनकीयात कायम की गई है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में पर्चा तनकीयात संलग्न है जिसमें अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कुल 6 तनकीयात कायम किया जाना अंकित है। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 5 द्वारा कथित पंजीकृत रिलीज डीड के सम्बंध में अपीलांटगण के हक अधिकारों के सम्बंध में कोई तनकी कायम नहीं की गई है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में समुचित तनकीयात कायम नहीं की गई है। प्रकरण में उभयपक्षकारान की ओर से साक्ष्य प्रस्तुत किए गए है तथा पत्रावली वास्ते बहस अंतिम नियत की गई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेशिका दिनांक 14.08.2024 में उभयपक्षकारान के अधिवक्ताओं की बहस सुनी जाकर पृथक से निर्णय पारित किए जाने का अंकन किया गया है। चूंकि अधीनस्थ न्यायालय में उभयपक्षकारान के अभिवचनों के आधार पर तनकीयात कायम की जा चुकी थी तथा उभयपक्षकारान की ओर से साक्ष्य प्रस्तुत किए जा चुके थे अतः ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय को उभयपक्षकारान के अधिवक्ताओं की बहस सुनकर सी.पी.सी. के आदेश 20 नियम 5 की पालना में तनकीवार निर्णय पारित किया जाना आवश्यक था। अधीनस्थ न्यायालय को उभयपक्षकारान द्वारा प्रस्तुत की गई साक्ष्य के आधार पर प्रत्येक तनकी पर अपना निष्कर्ष अंकित किया जान अनिवार्य था। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 14.08.2024 में प्रत्येक तनकी का निष्कर्ष अंकित किए बिना ही निर्णय पारित किया गया है जो सी.पी.सी. के आदेश 20 नियम 5 के प्रावधानों के विपरीत है। हमारे मत में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सी.पी.सी. के अनिवार्य प्रावधानों की पालना किए बिना ही प्रश्नगत निर्णय व डिक्री दिनांक 14.08.2024 की गई है जो त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किए जाने योग्य है। प्रश्नगत प्रकरण में वादग्रस्त भूमि के सम्बंध में उभयपक्षकारान के हक अधिकारों को लेकर भी महत्वपूर्ण कानूनी प्रश्न निहित है तथा प्रकरण में तनकीयात कायम की जा चुकी है तथा साक्ष्य प्रस्तुत किए जा चुके है अतः तनकीवार निर्णय पारित किए जाने के उपरांत ही किसी न्यायसंगत निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है।

अतः अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को तनकीवार निर्णय पारित किए जाने हेतु प्रतिप्रेषित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

9. उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कनवास जिला कोटा के प्रकरण संख्या 27/2020(2020/00043) में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 14.08.2024 निरस्त की जाती है। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह अपीलांटगण प्रतिवादीगण द्वारा कथित रजिस्टर्ड रिलीज डीड दिनांक 20.07.2020 से प्राप्त भूमि के सम्बंध में समुचित तनकीयात कायम करें । साथ ही वादग्रस्त भूमि में पक्षकारान के हक अधिकारों के सम्बंध में समुचित तनकीयात कायम की जाकर उभयपक्षकारान को साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए गुणावगुण पर नवीन निर्णय पारित करें। उभयपक्षकारान अधीनस्थ न्यायालय में सुनवाई हेतु दिनांक 24.07.2025 को स्वयं उपस्थित रहें

10. पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की सत्यप्रति के साथ अग्रिम कार्यवाही हेतु अविलम्ब लौटाई जावे।

11. निर्णय आज दिनांक 20.06.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

20/6/25

(मुरलीधर प्रतिहार)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा